REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 8 | ISSUE - 7 | APRIL - 2019

ग्रामीण विकास और मनरेगा

प्रेम शंकर गोंड
राजनीति विज्ञान विभाग,
बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय,
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।

सारांशः

विकासशील देशों के लिए ग्रामीण विकास की समस्या का सामना करना एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जब देश सम्राज्यवादी सत्ता से मुक्त होते हैं तब जनता सरकार से उपेक्षा करती है कि विदेशी शासन में रुकी विकास की प्रक्रिया को गति प्रदान किया जाए जिससे विकास का लाभ बहुसंख्यक ग्रामीण लोगों तक पहुंच पाए। भारत जैसे देश में ग्रामीण विकास को क्रमवद्ध एवं नियोजित तरीके से शुरुआत की गई जिसमें विभिन्न योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1992 में 73वें संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन की व्यवस्था कर इसे और मजबूती प्रदान किया गया परंतु आजादी के 60 दशक बाद गांवों में बेरोजगारी एवं गरीबी को दूर करने हेतु विकास के माननीय पक्ष को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कर ग्रामीण जनता को काम का अधिकार प्रदान किया गया ।

मुख्य शब्दः– विकास, ग्रामीण विकास, मनरेगा, योजना।

प्रस्तावनाः

भारत गांवों का देश है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121.07 करोड़ में से 83.4 करोड़ 597485 गांव में रहती है। इसलिए भारत के विकास के लिए आवश्यक है कि गांवों का विकास किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत की विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई।

एकांकी विकास किसी भी समाज, क्षेत्र या देश के लिए लाभकारी न होकर हानिकारक होता है। अतः विकास की नई रणनीतियों के अनुसार विकास का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण समाज के उपेक्षित एवं विभिन्न लोगों के विकास को अधिक अवसर प्रदान कर उनमें सामाजिक, आर्थिक जीवन की विषमता को दूर करना माना गया, साथ ही साथ ग्रामीण जीवन में सुधार के अतिरिक्त मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित सुविधा जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि का विकास भी किया गया। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना ही ग्रामीण विकास है। जिसके अंतर्गत कृषि विकास, ग्रामीण गृह निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, समाजिक, आर्थिक ढांचे में परिवर्तन को शामिल किया गया है।

मनरेगा ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करने एवं उन्हें अतिरिक्त आय प्रदान कर उन्हें सामाजिक, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ–साथ स्वास्थ्य, शिक्षा में मजबूती प्रदान किया है। यह ग्रामीण परिवार को 100 दिन का निश्चित रोजगार का अधिकार देता है काम न मिलने पर निश्चित बेरोजगारी भत्ता की व्यवस्था भी की गई है।

भारत गांवों का देश है यहां की लगभग 70 प्रतिशत आबादी आज भी गांवों में निवास करती है। जिस कारण भारत का गांव हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। महात्मा गांधी ने भी भारत के विकास का रास्ता

गांव से होकर जाने की बात, स्वीकार की है। यानि की भारत के विकास के लिए बनने वाली नीतियों में भारत के गांवों को केंद्र में रखा जाए। गांधी, विनोबा भावे जैसे विद्वानों ने इन गांवों के शासन को ग्रामस्वराज का नाम दिया जिसमें गांव में अंतिम छोर पर रहने वाला व्यक्ति सम्प्रभुता संपन्न होकर राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में अपनी सक्रिय व सृजनात्मक भागीदारी सुनिश्चित कर सकेगा। इस राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में अपनी पहचान व संस्कृति तथा जीवनशैली का जतन करते हुए अपने जीवन यापन हेतु सतत विकास केंद्रीय अवयव रूप साधन जुटा सकता है।

आजादी के बाद योजनाबद्ध तरीके से विकास के रास्ते को अपनाया गया जिससे भारत एक तरफ विकास की गति को प्रदान किया लेकिन इस विकास के दौर में और बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारों की एक लंबी फौज तैयार हो गई। स्वामीनाथन ने इस समय के बेरोजगारों का शीघ्र समाधान करने पर जोर देते हुए कहा था कि "आज नौकरियों के लिए असमी और बिहारी बढ़ रहे हैं और वह समय दूर नहीं है जब नौकरियों के लिए पूरे भारत में संघर्ष छिड़ जाएगा।" इस बेरोजगारी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने रोजगार प्रदान करने वाली अनेक योजनाएं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए चलाई लेकिन सही से क्रियान्वयन न होने पर भ्रष्टाचार के कारण यह सारी योजना अपने लक्ष्य को प्राप्ती तक नहीं पहुच पाई हैं।

मनरेगा एक संक्षिप्त परिचयः

मनरेगा पहला अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसके तहत रोजगार की अभूतपूर्व व्यवस्था है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य रोजगार के लिए पूरक अवसर उपलब्ध कराना है। 2 फरवरी 2006 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के बंदोपाली से देश के 200 जिलों में पायलट रूप से लागू किया और धीरे–धीरे 5 वर्षों में देश के संपूर्ण जिलों में इस योजना का विस्तार करने का लक्ष्य रखा और 2008 तक देश के सभी 604 जिलों में लागू कर दिया गया।

अवधारणा, घोषित उद्देश्य और विस्तारः–

अधिनियम में इसके कुछ लक्ष्य और उद्देश्य घोषित किए गए अब चाहने वालों का रोजगार एक वैधानिक हक है इस अधिनियम के उद्देश्य लक्ष्य प्रस्तावना में दर्ज है; जैसेः

"देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गृहस्थियों की आजीविका की सुरक्षा को, प्रत्येक गृहस्थी को जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, वर्धित करने तथा उससे सशक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित है।"[1]

"वयस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है;

"गृहस्थी" से किसी कुटुम्ब के सदस्य अभिप्रेत हैं, जो एक दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित है और एक सामान्यतः एक साथ निवास करते तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं;

"टिकाऊ परिसंपत्तियों का सृजन और ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों के संसाधनों के लिए आधार को सुदृढ़ करना योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।"[2]

उद्देश्यः

ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन की गारंटीयुक्त योजना उपलब्ध कराना है, जिसके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरक श्रम करने को तैयार हैं।

- ग्रामीण इलाकों में स्थाई परिसंपत्तियों का निर्माण करना जिससे आजीविका में वृद्धि हो।
- गांवों के जंगल, जल एवं पर्यावरण की रक्षा करना ।

[1] राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ.–1

[2] दूसरे वर्ष की रिपोर्ट, अप्रैल 2006 से मार्च 2007, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, पृ.–4

- महिलाओं का सशक्तिकरण।
- गांवों से शहरों की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाना।
- सामाजिक समरसत्ता एवं समानता सुनिश्चित करना।

मुख्य विशेषताएं:

- महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना 2005 की मुख्य विशेषताओं का सारांश निम्नानुसार है:–
- इस योजना को कानूनी दायरे के तहत कार्यक्रम बनाकर लागू किया जा रहा है।
- योजना अब संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में लागू है, अतः भारत के समस्त ग्रामीण व्यस्क नागरिक इस योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- योजना का लाभ लेने के लिए परिवार, परिवार के सदस्य को अपने ग्राम पंचायत में पंजीयन कराना आवश्यक है जिसके लिए ऐसे परिवार को लिखित तौर पर स्थानीय ग्राम पंचायत में आवेदन करना होगा ।
- समुचित जांच करने के बाद ग्राम पंचायत आवेदक को जॉब कार्ड जारी करता है। इस जॉब कार्ड में आवेदक का विवरण, नाम, पता फोटो युक्त होता है। यह निःशुल्क दिया जाता है।
- यह योजना पूर्ववर्ती रोजगार योजनाओं की तरह आपूर्ति आधारित न होकर मांग आधारित है।
- आवेदक द्वारा रोजगार की मांग करने पर उसे एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने का अधिकार है। राज्य अपने संसाधनों से 100 दिवस से अधिक का रोजगार प्रदान कर सकता है।
- आवेदक द्वारा काम मांगने पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराई जाती है।
- कार्य के लिए आवेदन व्यक्तिगत के लिए भी किया जा सकता है।
- योजना के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायतों की अधिक भूमिका होती है। कम से कम 50 प्रतिशत कार्य इन्ही के माध्यम से कराने का प्रावधान है ।
- योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य मानव श्रम द्वारा संपन्न किए जाते हैं, मशीनों से कार्य प्रतिबंधित है।
- यदि आवेदक को 15 दिन के अंतर्गत पंचायत द्वारा कार्य नहीं दिया जाता है तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा।
- योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों में कम से कम एक तिहाई महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है ।
- आवेदकों को अपने गांव में ही रोजगार देने की व्यवस्था है अगर उन्हें अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर कार्य कराया जाता है तब उन्हें 10 प्रतिशत अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी।
- श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उनके द्वारा संपादित टास्क के आधार पर किया जाता है ।
- श्रमिक द्वारा कार्य संपन्न करने के बाद 15 दिन के अंदर मजदूरी का भुगतान करना अनिवार्य है। मजदूरी आवेदक के खाते में आएगी। निर्धारित अवधि में मजदूरी का भुगतान न होने पर वह क्षतिपूर्ण का हकदार होगा ।
- पुरुष एवं महिलाओं के लिए एक समान मजदूरी होगी।

ग्राम सभा की भूमिका:

ग्राम सभा से यह उम्मीद की जाती है कि वह मनरेगा के अंतर्गत होने वाले कार्यों की निगरानी करे तथा योजना बनाने में हिस्सा ले। इसके अंतर्गत होने वाले संभावित कार्यों में उनकी प्राथमिकता तय करे। ग्राम पंचायत और कार्यक्रम अधिकारी की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्तावों को प्रमुखता दी जाएगी। ग्रामसभा निम्न दायित्वों को निभाएगी –

- ग्राम पंचायत के समक्ष परियोजनाओं की अनुशंसा करना और विकास योजना एवं संभावित कार्यों की श्रृंखला (प्राथमिकता) तय करना।
- ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कार्यों का निरीक्षण करना ।
- ग्राम पंचायत के अंतर्गत सभी परियोजनाओं का नियमित सामाजिक मूल्यांकन (अंकेक्षण) करना।

वित्त पोषणः

केंद्र सरकार द्वारा योजनान्तर्गत निम्न व्यय वहन किया जाता है–

1. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत
2. योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 निर्धारित है ।

सरकार द्वारा व्यय वहन–

1. श्रम एवं सामग्री का निर्धारित अनुपात।
2. बेरोजगारी भत्ता।

योजना के अंतर्गत अनुमत कार्यः

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 03.01.2004 को महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 एवं 2 में किए गए परिवर्तन के उपरांत अधिनियम की अनुसूची 1 में निम्न कार्य योजनान्तर्गत कराया जाता है–

1. **प्रवर्ग–अः** प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित लोक निर्माण।[3]

i. पेय जल स्त्रोत सहित परिष्कृत भूजल पर विशेष ध्यान के साथ भूमिगत बांध, मिट्टी के बांध, ठहराव बांध, रोक बांधों, जैसे भूजल की वृद्धि और सुधार के लिए जल संरक्षण और जल शास्य;

ii. जल संचयन के व्यापक उपचार के परिणामस्वरुप खाई रूपरेखा, कगार खाई पुश्ता गोलाश्म अवरोध पीपा ढ़ाचे झरना शेड विभाग जैसे जलसंभर प्रबंधन कार्य।

iii. सुक्ष्म और लघु सिंचाई कार्य भी सिंचाई नहरों तथा नालियों का सृजन, पुनरुज्जीवन और अनुरक्षण।

iv. पैरा 5 में आने वाली गृहस्थी के मोगाधिकार सम्यक, रूप से प्रदान करके सामान्य और वन भूमियों, सड़क सीमांतों, नहर बंद, कुंड, तटाग्र और तटीय में वन भूमि में वृक्षारोपण, वृक्ष उगाना और बागवानी।

v. सामान्य भूमि में भूमि विकास कार्य।

2. **प्रवर्ग–आः** दुर्बल वर्गों के लिए व्यष्टिक आस्तियां

i. भूमि विकास के माध्यम से और खुदे हुए कुओं, कृषि तालाबों तथा अन्य जल संचयन संरचनाओं सहित सिंचाई के लिए उपयुक्त अवसंरचना उपलब्ध कराकर पैरा 5 में विनिर्दिष्ट ग्रहस्थियों की भूमि की उत्पादकता में सुधार करना।

ii. उद्यान कृषि, रेशम कृषि, पौधारोपण और कृषि वानिकी के माध्यम से आजीविका में सुधार करना।

iii. इसे जुताई के अधीन लाने के लिए पैरा 5 में परिभाषित ग्रहस्थियों की परती या बंजर भूमि का विकास।

iv. इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केंद्रीय सरकार की स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों के संनिर्माण में अकुशल मजदूरी।

v. कुटकुट आश्रय, बकरी आश्रय, शूकर आश्रय, पशु आश्रय, चारा द्रोणिका जैसे पशुधन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सर्जन करना।

vi. मछली शुष्कण यार्डो भंडारण सुविधाओं जैसे मत्स्य पालन और सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जलाशयों में मत्स्यपालन के संवर्धन के लिए अवसंरचना का सर्जित करना।

3. **प्रवर्ग–ईः** ग्रामीण अवसंरचना

i. खुले में शौच मुक्त होने के लिए सरकारी विभागों की स्कीमों के अनुसार व्यष्टिक घरेलू शौचालय, विद्यालय शौचालय एकक, आंगनवाड़ी शौचालयों जैसे कार्यों से संबंधित ग्रामीण स्वच्छता को प्रदान करना।

[3] नरेगा संशोधित अधिनियम

ii. सभी मौसमों के अंतर्गत ग्रामीण सड़क को मुख्य सड़क से जोड़ने वाले सड़कों का निर्माण, ग्राम में पक्की आंतरिक सड़कें और गलियां ,जिनके अंतर्गत पार्श्विक नालियां और पुलिया भी हैं का निर्माण।
iii. खेल के मैदानों का सनिर्माण।
iv. आपदा तैयारी में सुधार करना, जिसके अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण का संकर्म बाढ़ जलमार्गो की मरम्मत करने, चॉयर जीर्णोद्धार, तटीय संरक्षण के लिए तूफानी जल नालियों का संनिर्माण संबंधी कार्य संकर्म ।

v. **वित्त पोषणः**

केंद्र सरकार द्वारा योजना अंतर्गत व्यय वहन–

i. अकुशल श्रमिकों की मजदूरी का 100 प्रतिशत।
ii. सामग्री मद जिसमें कुशल/अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सम्मिलित है का 75 प्रतिशत।
iii. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सीमा तक प्रशासनिक एवं प्रबंधन व्यय।

राज्य सरकार द्वारा योजना अंतर्गत व्यय वहन–

i. समग्री मद का 25 प्रतिशत।
ii. बेरोजगारी भत्ता।
iii. एस.ई.जी.सी. पर किया गया व्यय।

मनरेगा और ग्रामीण विकासः

ग्रामीण विकास के विषय में पिछले कुछ दशकों से भारतीय नीतिकारों और लोगों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित किया है इसके पीछे मुख्य कारण यह रहा है कि विकास संबंधी मुद्दों ने ग्रामीण जनता की जागरूकता में वृद्धि किया है क्योंकि ग्रामीण विकास के बिना ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या को बेहतर जीवन उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। इसके लिए ग्रामीण संरचना में आर्थिक व सामाजिक दोनो ही पक्षों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुये क्रमबद्ध विकास की आवश्यकता है। 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से ग्रामीण समुदायो के माध्यम से ग्रामीण विकास की शुरुआत की गई । जिसमें जनसहभागिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया। परन्तु सरकार की औद्योगिक विकास ने ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान न देने के कारण अब तक ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उस स्तर तक नहीं हो पाया है जिस पर होना चाहिए था। यहां बेरोजगारी, पलायन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि जैसी गंभीर समस्या है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2006 में मनरेगा योजना की शुरुआत की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही साथ यह भी ध्यान दिया जाता है इस योजना में किए गए कार्यों से ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास भी हो सके जिससे लोगों को सतत लाभ प्राप्त हो सके ताकि कमजोर तबकों की आबादी की आजीविकाओं में बढ़ोतरी करने के साथ–साथ टिकाऊ परिसम्पतियों के सृजन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और जल संरक्षण से लोगों को आने वाले समय में भी लाभ मिल सके, इसके लिए सरकार मनरेगा के बजट निरंतर बढ़ोतरी कर रही ळें

चित्रः मनरेगा का बजट (2013–2018)

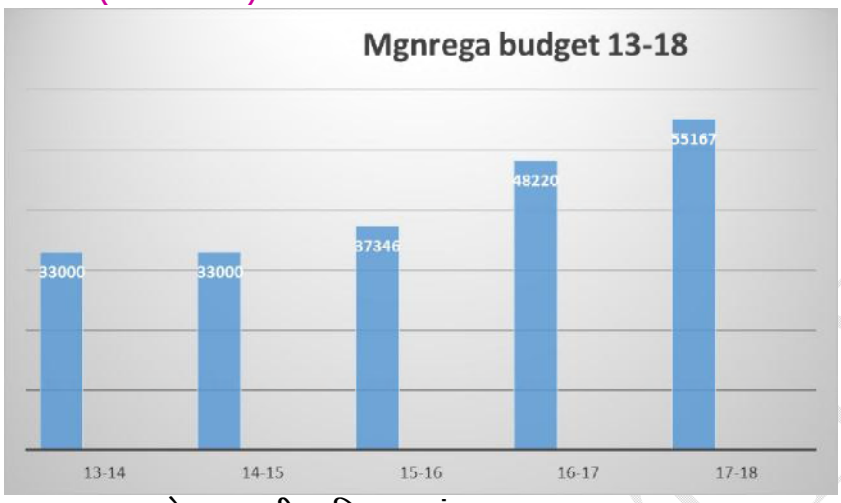

स्त्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

इसके साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा निधि के उपयोग में भी पर्याप्त वृद्धि देखने को मिल रही है। जो 2017–18 में बढ़कर 53167 करोड़ अब तक की सबसे अधिक उपयोग निधि है।

ग्रामीण विकास तब तक संभव नहीं हो सकता है जब तक गांवों की कृषि में सुधार (विकास) न किया जाए। लोगों की कृषि उपज को बढ़ाया जाए जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी तो हो ही, साथ में किसानों का कृषि से मोह भंग भी दूर किया जा सके इसके लिए मनरेगा में होने वाले कार्यों में कृषि तथा कृषि सहायक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया इसके साथ ही इन कार्यो पर के बजट के हिस्से से होने वाले खर्च में निरंतर वृद्धि की जा रही है।

चित्रः मनरेगा के तहत कृषि एवं कृषि सहायक कार्यो पर खर्च (2014–2019)

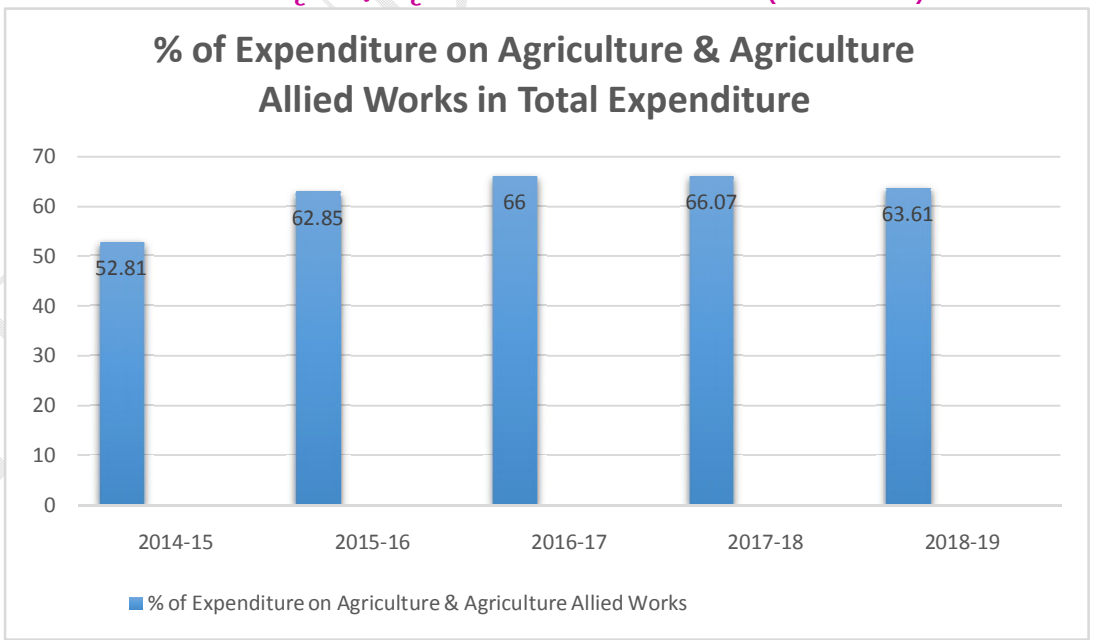

स्त्रोत : ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

कृषि एवं कृषि सहायक कार्यो से वैयक्तिक एवं सामुदायिक परिसंपत्तियों दोनों के लाभार्थी ने भूमिगत में जल बढ़ोतरी, फसल में बढ़ोतरी एवं आय में बढ़ोतरी का अनुभव किया है।[4] इसके साथ ही मनरेगा में मुख्य सड़क से जोड़ने वाली पगडंडियों का निर्माण कर ग्रामीण किसानों को वर्ष भर बाजार से जुड़ने का मौका प्रदान किया है।

मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं को अपने गांव के आस–पास कार्य देकर उन्हें आत्मनिर्भरता एवं अतिरिक्त आय की सुविधा प्रदान की है जिससे वे अपने परिवार पर होने वाले (स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषणयुक्त भोजन) खर्च में वृद्धि एवं भविष्य के लिए बचत कर सकें।

सुझावः

भारत जैसे देश के लिए ग्रामीण विकास का विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से संपन्न करने की कोशिश की गई। इसकी शुरुआत सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में से हुई। इसके बाद जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इंदिरा आवास, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, काम के बदले अनाज योजना जैसे कार्यक्रम चलाए गए। 2 फरवरी 2006 को ग्रामीण विकास एवं रोजगार की मुहैया के लिए नरेगा योजना शुरू किया गया जो 100 दिनों की रोजगार का अधिकार प्रदान करता है। इस योजना हेतु 2017–18 में 64 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया।[5] जो अब तक की सबसे अधिक धनराशि है। परंतु सरकार को इस योजना के क्रियान्वयन में और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जिसमें श्रमिकों को निश्चित अवधि के अंतर्गत वेतन का भुगतान किया जाए।[6] योजना के शिकायत समाधान की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही कम मजदूरी के कारण श्रमिकों के इस योजना में कम होती भागीदारी के लिए दैनिक मजदूरी में वृद्धि की जाए। सामाजिक अंकेक्षण को समय पर पूरा करते हुए ग्राम सभा की भूमिका को सुनिश्चित किया जाए।

निष्कर्षः

इंडियन एक्सप्रेस, जुलाई 2018 में छपे लेख में जो ज्यां ट्रेज ने मनरेगा से संबंधी चार पहलुओं को इंगित किया जिस ओर ध्यान देकर इस योजना को और सशक्त बनाया जा सकता है–

i. कम मजदूरी की वजह से काम की मांग में कमी।
ii. देरी से भुगतान एवं कामगारों को कम मुआवजा।
iii. राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कोष प्रबंधन व्यवस्था और आधार भुगतान ब्रिज व्यवस्था जैसे प्रौद्योगिकीय हस्तक्षेप से भुगतान में देर होना।
iv. अपर्याप्त शिकायत समाधान व्यवस्था।

इन बिंदुओं के साथ मनरेगा में फैले भ्रष्टाचार तथा सही समय पर मजदूरों को भुगतान कर सरकार को इसे मजबूत बनाना चाहिए। जिससे किसानों की आर्थिक समस्या तो दूर होगी ही मजदूरी पर निर्भर लाखों भूमिहीन ग्रामीण परिवारों का जीवन खुशहाल होगा जिससे आर्थिक समानता एवं समावेशी विकास के उद्देश्य पूर्ण किए जा सकते हैं। मनरेगा योजना से सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में सुधार हुआ जिससे उत्पादकता, वेतन एवं रोजगार में वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर गांव में काम देने वाले कम लोग हो तो वे श्रमिकों के वेतन को कम करने की क्षमता रखते हैं लेकिन मनरेगा न्यूनतम मजदूरी दर पर गांव में ही काम देकर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि की है।[7]

कुल मिलाकर मनरेगा ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं को मजबूती प्रदान कर विकास के मानवीय पक्ष को मजबूती प्रदान किया हो जिससे गांव का विकास तो हो ही, ग्रामीण जनता का विकास भी संभव हो पाया है क्योंकि आर्थिक सर्वे बताते हैं कि मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की आमदनी में 13 फिसदी वृद्धि हुई है।[8]

[4] वार्षिक रिपोर्ट, 2017–18, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
[5] WWW.NAREGA.NIC.IN
[6] ज्यां ट्रेज, इंडियन एक्सप्रेस अखबार, 13 जुलाई 2018
[7] ज्यां ट्रेज और अमर्त्य सेन, 2018, ''भारत और उसके विरोधाभास'', राजकमल प्रकाशन
[8] कार्तिक मुरलीधरन, मार्च 11, 2019 हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र

संदर्भ ग्रंथः

- www.narega.nic.in/
- राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत सरकार, 2005
- महात्मा गांधी नरेगा समीक्षा, 2006–12, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- आर्थिक सर्वेक्षण, 2017–18, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार
- वार्षिक रिपोर्ट, 2018, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
- कार्तिक मुरलीधरन, मार्च 11, 2019 हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र
- वार्षिक वजट, भारत सरकार
- ज्यां ड्रेज और अमर्त्य सेन, 2018, भारत और उसके विरोधाभास, राजकमल प्रकाशन
- योजना मासिक पत्रिका, अगस्त 2018, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार
- कुरुक्षेत्र मासिक पत्रिका, सितंबर 2018, सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार

प्रेम शंकर गोंड
राजनीति विज्ञान विभाग, बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, (केन्द्रीय विश्वविद्यालय), लखनऊ।

LBP PUBLICATION